

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण



आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण

EWS आरक्षण

- एस.आर. सिन्धो आयोग (2010) की सिफारिशों पर आधारित
- इसे 103वें संविधान संशोधन (2019) के तहत प्रस्तुत किया गया जिसने संविधान में अनुच्छेद 15(6) तथा 16 (6) को जोड़ा
- नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में EWS के लिये 10% आरक्षण का प्रावधान करता है
- केंद्र और राज्य दोनों EWS को आरक्षण प्रदान कर सकते हैं

भारत में जाति आधारित आरक्षण

- संवैधानिक प्रावधान:
 - ➔ सरकारी शिक्षण संस्थान: अनुच्छेद 15-(4), (5), और (6)
 - ➔ सरकारी नौकरियाँ: अनुच्छेद 16-(4) और (6)
 - ➔ विधानमंडल (राज्य/संघ): अनुच्छेद 334
- OBC आरक्षण: मंडल आयोग की रिपोर्ट (1991) में प्रस्तुत किया गया
- क्रीमी लेयर की अवधारणा केवल OBC आरक्षण (न कि SC/SC) में मौजूद है
- जाति आधारित आरक्षण की सीमा का निर्धारण: 50% (इंदिरा साहनी वाद 1992 में)
- आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का पहला बड़ा फैसला: चंपकम दोरैराजन वाद, 1951

01

आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EWS)

- अनारक्षित श्रेणी के लोग जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है
- संपत्ति का स्वामित्व: कृषि भूमि 5 एकड़ से कम; आवासीय भूमि 200 वर्गमीटर से कम

02

EWS पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख

- सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है
- बहुमत का दृष्टिकोण: EWS कोटा/आरक्षण संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन नहीं करता है
- अल्पसंख्यक दृष्टिकोण: यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच निर्धनतम लोगों को बाहर करता है

03

04

